भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

सी आई एन / CIN : L32309KA1954GO1000787

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 66वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 30 सितंबर, 2020 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कांफ्रेसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी –

सामान्य कारोबार-

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -

क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन; और

ख) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹1.40 (140%) के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना तथा ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.40 (140%) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना ।

3. **श्रीमती आनंदी रामलिंगम** (डीआईएन-07616518) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना ।

विशेष कारोबार -

4. श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन-08597649) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 66th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Wednesday, 30 September 2020, at 10:00 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2020 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and

b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2020 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2019-20.

3. To appoint a Director in place of **Mrs. Anandi Ramalingam** (DIN: 07616518), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. Appointment of Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन-08597649), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-E0032/4/2018-D(BEL) दिनांक 22 जुलाई 2019 द्वारा निदेशक (अन्य यूनिटें) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 1 दिसंबर, 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत एक सदस्य से कंपनी का निदेशक पद धारित करने का प्रस्ताव रखते हुए अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है, को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगी।"

5. श्री दिनेश कुमार बत्रा (डीआईएन-08773363) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री दिनेश कुमार बत्रा (डीआईएन-08773363), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी- E0032/1/2019-D(BEL) दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ के रूप में पदनामित किया गया, और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री दिनेश कुमार बत्रा को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649), who was appointed as Director (Other Units) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/4/2018-D(BEL) dated 22 July 2019 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Other Units) by the Board of Directors w.e.f 1 December 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mrs Shikha Gupta as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

5. Appointment of Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363), who was appointed as Director (Finance) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/1/2019-D(BEL) dated 29 April 2020 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Finance) & CFO by the Board of Directors w.e.f 1 August 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr Dinesh Kumar Batra as a candidate for the

और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।"

6. श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2019-डी (बीईएल) दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा निदेशक (अनुसंधान व विकास) नियुक्त किया गया और तदुपरांत उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 1 सितंबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अनुसंधान व विकास) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री एम वी राजशेखर को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे ।"

7. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार,

office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

6. Appointment of Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171), who was appointed as Director (Research & Development) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/2/2019-D(BEL) dated 6 July 2020 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Research & Development) by the Board of Directors w.e.f 1 September 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr M V Rajasekhar as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

7. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy

बेंगलूरु (एलएलपिन- AAB-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 350,000/- (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।"

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
7 सितंबर 2020

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

& Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2021."

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
7 September 2020

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. **कोविद-19 की मौजूदा महामारी को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई 2020, जिसे परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2020 (जिसे यहाँ संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य (ओएवीएम) माध्यम से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना सामान्य वार्षिक बैठक ("एजीएम") करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है । एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा ।**

2. चूँकि एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है ।

3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी ।

4. कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में सुदूर ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्क्रूटिनाइज़र को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।

5. विशेष कारोबार के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में ऊपर बताए गए अनुसार संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीकरण विनियमों के विनियम 26(4) और 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक

NOTE

1. **In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("The Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.**

2. Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.

3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the Meeting are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter to the Scrutinizer through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.

5. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under

(एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुन:नियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।

6. उक्त एमसीए के परिपत्रों तथा सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपाज़िटरियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के पास एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 भेजने के प्रयोजनार्थ और ई-मतदान के अनुदेशों के लिए लिंक https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अपडेट कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 और ई-मतदान के अनुदेश भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और वास्तविक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।

7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण पुस्तकें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **गुरुवार, 17 सितंबर, 2020 से लेकर रविवार, 20 सितंबर, 2020** (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।

निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.40/- (140%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अदा किया गया । ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं । निदेशक मंडल ने

Regulation 26(4) and 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.

6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12 May 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/update their e-mail address and mobile number with Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., by clicking the link: https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx for the purpose of sending Notice of the AGM, Annual Report 2019-20 and e-voting instructions. Alternatively, Members may send their request to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in along with scanned copy of request letter duly signed, providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of the AGM, Annual Report 2019-20, and the e-voting instructions.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain be closed from **Thursday, 17 September, 2020 to Sunday, 20 September 2020** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2020, if declared at the AGM.

The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 1.40/- (140%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid during the financial year 2019-20. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/DDs may approach Registrar and Transfer Agent of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 29 June 2020, has recommended a final dividend of

दिनांक 29 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पर ईक्विटी शेयर पर रु. 1.40/- (140%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । वर्ष 2019-20 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 16 सितंबर 2020 को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे । बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोज़िटरियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 16 सितंबर 2020 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपाज़िटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए चैक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चैक उनके दर्ज पतों पर भेजे जाएँगे। लाभांश वारंटों / डीडी की धोखाधड़ी से नकदीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपाज़िटरी सहभागी (डी.पी.) के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।

10. सेबी के आज्ञापक परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के तारतम्य में, शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्य जिनके लेजर फोलियो स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ अद्यतन नहीं है, को अद्यतन हेतु कंपनी के आरटीए में उसे प्रस्तुत करना होगा। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डी.पी. जिनके पास उनके इलेक्ट्रॉनिक खाते रखे गए हैं, को पैन प्रस्तुत करें।

11. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), आदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर

₹ 1.40/- (140%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid up. The Final Dividend for the year 2019-20, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on 16 September 2020 in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on 16 September 2020 as per the details furnished by the depositories.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details along with cancelled cheque to Company's RTA. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/ cheques will be sent to their registered addresses. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants/DDs, shareholders are requested to update their Bank account details with their respective Depository Participants (DPs).

10. Pursuant to SEBI mandate vide its circular dated 20 April 2018, Members holding shares in physical mode whose ledger folios have not been updated with Permanent Account Number (PAN) are required to submit the same to Company's RTA, for updation. Members holding shares in electronic form are requested to submit the PAN to DPs with whom they are maintaining their electronic accounts.

11. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकारण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 जिसे उसके संबंधित परिपत्रों एवं संशोधनों ('आई.ई.पी.एफ. नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, नियत तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित करना आवश्यक है । तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अंतिम लाभांश वर्ष 2011-12 से संबंधित अदत्त और दावा न की गई राशि ₹ 1,15,408.80 अंतरित कर दिया है ।

वर्ष 2012-13 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2013-14 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2020-21 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया जाना है । कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है । दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के साथ पत्राचार करें।

अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा आवश्यक, ऐसे इक्विटी शेयर जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित किया गया है । अंतरित किए गए शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड किया गया है।

13. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित), के विनियम 40(1) के तारतम्य में, वास्तविक रूप में प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोध पर कंपनी द्वारा तब तक कर्यवाही नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियों के पारेषण या रूपांतरण के मामलों को छोडकर प्रतिभूतियाँ डिपोजिटरी के पास डीमटीरियलीकृत रूप में धारित की जाती है इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वास्तविक रूप से धारित प्रतिभूतियों का डीमैट करा लें ।

14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध

their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, in case the shares are held by them in physical form.

12. Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto ('the IEPF Rules'), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the due date is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), constituted by the Central Government. The Company had, accordingly, transferred ₹ 1,15,408.80 being the unpaid and unclaimed dividend amount pertaining to Final Dividend for the year 2011-12 to IEPF.

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2012-13 and interim dividend for the year 2013-14 are due for transfer to IEPF during 2020-21. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2020 on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's Registered Office.

As required under Section 124 of the Act, equity shares, in respect of which dividend has not been claimed by the Members for seven consecutive years or more, have been transferred by the Company to IEPF. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in.

13. Members are informed that pursuant to Reg.40(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended), request for effecting transfer of securities in physical form shall not be processed by the Company unless the securities are held in dematerialized form with a Depository, except in case of transmission or transposition of securities. Hence the Members are requested to dematerialize their physical holding.

14. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to Members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories,

है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें । कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **28 सितंबर, 2020** से पहले https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx में कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित करते हों) और डिपाज़िटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

15. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खाते या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

16. ऐसे सदस्य जो शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करते हैं, कंपनी (शेयर पूँजी एवं ऋणपत्र) नियम, 2014 में वर्णित अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें कंपनी में उनके शेयर उक्त फार्म में बताई गई घटना के घटित होने पर प्राप्त होते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले व्यक्ति कंपनी के आरटीए को फार्म एसएच-13 दो प्रतियों में भेजें। यदि शेयर डीमटीरियलीकृत रूप में धारित किए जाते हैं तो संबंधित डीपी में नामांकन दर्ज कराए जाएँ।

17. कंपनी ने 66वीं एजीएम के लिए वीडियों कांफ्रेसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए https://www.evotingindia.com की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे ।

18. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश –

क. सदस्यों को सीडीएसएल की ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य https://www.evotingindia.com में सुदूर ई-वोटिंग संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन के तहत उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम का लिंक शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx on or before **28 September 2020**. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

15. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.

16. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. Persons holding shares in physical form may send Form SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.

17. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 66th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of https://www.evotingindia.com using their secure login credentials.

18. Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:

a. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

ख. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप / आईपैड द्वारा बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आई पॉड के कैमेरा और अच्छी स्पीड युक्त इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

ग. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।

घ. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम के शुरु होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

ङ. वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ – पहले पाओ आधार पर 1200 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

च. सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग सूचनाओं का उपयोग करते हुए सीडीएसएल द्वारा दिए गए वीडियो कॉन्फरेंसिंग प्लेटफार्म प्राप्त कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि ऐसे सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इस रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का पालन करते हुए उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

छ. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 18 सितंबर 2020 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 27 सितंबर 2020 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.) तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएँगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।

b. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

c. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

d. The Members can join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.

e. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to 1200 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairman of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

f. Members may access the video conferencing platform provided by CDSL by using their remote e-voting credentials. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions.

g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from 18 September 2020 (9:00 a.m. IST) to 27 September 2020 (5:00 p.m. IST). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहरित कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -

(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 26 सितंबर 2020 को सुबह 9 बजे आईएसटी** से शुरु होगी और **मंगलवार, 29 सितंबर 2020 को शाम 5.00 बजे आईएसटी** को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **23 सितंबर 2020** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) ऐसे सदस्य जिन्होंने बैठक की तारीख से पहले ही वोटिंग किया है, वे एजीएम में वोटिंग करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) सदस्यों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।

(iv) "शेयरधारक" मॉड्यूल में क्लिक करें।

(v) अब अपना यूज़र आईडी दर्ज करें -

क. सीडीएसएल के लिए-16 अंकों का हितलाभी आईडी,

ख. एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

ग. शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल के **EASI/EASIEST** ई-सेवा में पंजीकृत हैं तो, अपने लॉगिन जानकारी देते हुए Login - Myeasi से https://www.cdslindia.com में लॉगिन कर सकते हैं। सीडीएसएल की **EASI/EASIEST** ई-सेवा में सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, **e-Voting**

19. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting at the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

Instructions for Members for Remote E-voting:

(i) The remote e-voting period begins on **Saturday, the 26 September 2020 at 9:00 A.M. IST** and ends on **Tuesday, the 29 September 2020 at 5:00 P.M. IST**. During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **23 September 2020** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.

(iii) The Members should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on "Shareholders" module.

(v) Now enter your User ID:

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting**

विकल्प पर क्लिक करें और सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग करें ।

(vi) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर आपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-वोटिंग पर वोटिंग किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।

(viii) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

डीमैट रूप में और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए) ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपाज़िटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तारतम्य संख्या का उपयोग करें। तारतम्य संख्या प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर कंपनी के आरटीए को अनुरोध भेजें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें । यदि दोनों विवरण डिपोज़िटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो अनुदेश (v) में दिए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

(ix) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।-

(x) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्यों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्यों को अब 'Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे वोटिंग करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु वोटिंग करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म द्वारा ई-वोटिंग का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी

option and proceed directly to cast your vote electronically.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number. Please send a request to Company's RTA at their e-mail ID irg@integratedindia.in to get sequence number.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, Members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person

अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।

(xi) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्यों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही किया जा सकता है।

(xii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप वोटिंग करना चाहते हैं ।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प होगा । इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें । विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं ।

(xiv) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें ।

(xv) आप जिस संकल्प पर वोटिंग करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें । एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा । यदि आप अपने वोटिंग की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने वोटिंग को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोटिंग को संशोधित करें ।

(xvi) एक बार जब आप संकल्प पर वोटिंग "CONFIRM" कर देते हैं, तो आपको अपना वोटिंग संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी ।

(xvii) आप वोटिंग पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xviii) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूज़र आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और फॉर्गोट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें ।

(xix) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप "**m-Voting**" का उपयोग करते हुए भी अपना वोट डाल सकते हैं । M-Voting ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । कृपया अपने मोबाइल पर सुदूर वोटिंग करने के दौरान मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें ।

(xx) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट-

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा ।

and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xii) Click on the EVSN for Bharat Electronics Limited on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app **"m-Voting".** The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while remote e-voting on your mobile.

(xx) Note for Non-individual Shareholders and Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- संस्था के स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए ।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पॉसवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूज़र बनाया जाना चाहिए । कंप्लाइंस यूज़र उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे वोटिंग देना चाहते हैं ।
- लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों को अनुमोदन प्राप्त करने पर अपना वोटिंग दे सकेंगे ।
- मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक को उसका सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।
- वैकल्पिक रूप से गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को वोटिंग देने के लिए अधिकृत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ संबंधित मंडल संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि gthirupal@gmail.com पर संवीक्षक को भेजें तथा उसकी एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि. को irg@integratedindia.in पर भेजें, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से वोटिंग किया है और उसे सत्यापन करने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है ।

यदि सदस्यों को एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो, वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (“एफएक्यू”) तथा www.evotingindia.com पर सहायता खंड के तहत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या श्री. नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दालवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दालवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को भेजें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542 / 43 पर कॉल करें ।

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non-individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at irg@integratedindia.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If Members have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने हेतु डिपॉजिटरी / कंपनी के आरटीए के साथ जिनका ई-मेल एड्रेस पंजीकृत नहीं है, उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया-

क) वास्तविक रूप से शेयर धारित करने वालों के लिए- कृपया फोलियो सं., शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन(पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी) जैसे आवश्यक ब्योरे कंपनी के आरटीए को उनके मेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें ।

ख) डीमैट शेयरधारकों के लिए- कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 डिजिट बेनेफिशरी आईडी या एनएसडीएल-16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित वित्तीय विवरण की प्रति, पैन(पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) कंपनी के आरटीए को उनके मेल आईडी irg@integratedindia.in पर प्रदान करे ।

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग देने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश-

क) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया सुदूर ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है ।

ख) केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।

ग) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के दौरान सदस्यों द्वारा कोई वोटिंग किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए वोटिंग को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है ।

घ) जिन सदस्यों ने सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में वोटिंग करने के पात्र नहीं होंगे।

ङ) ऐसे व्यक्ति के विवरण, जिन्हें एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी शिकायत के लिए संपर्क किया जाना है, वही व्यक्ति होंगे जिनका उल्लेख सुदूर ई-वोटिंग के लिए किया गया है ।

Process for those Members whose e-mail addresses are not registered with the Depositories/Company's RTA for obtaining login credentials for e-voting for the resolutions proposed in this notice:

a) For Physical shareholders: Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in.

b) For Demat shareholders - Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in.

Instructions for Members for e-voting during the AGM:

a) The procedure for e-voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

b) Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. However, Members who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the AGM.

c) If any votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.

d) Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

e) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM is the same person mentioned for remote e-voting.

20. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही वोटिंग करने के हकदार होंगे ।

21. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिगे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है । स्क्रूटिनाइज़र एजीएम में वोटिंग पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए वोटिंग की गणना करेंगे और तदुपरांत सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से किए गए वोटिंग को खोलेंगे और एजीएम की समाप्त के बाद अधिकतम 48 घंटों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए वोटिंग के नतीजों की घोषणा करेंगे ।

    अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

22. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा ।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 30 सितंबर, 2020 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं ।

24. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएँगे ।

25. चूँकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है ।

20. In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.

21. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutinizer's Report of the total number of votes cast in favor of or against or invalid, if any, not later than 48 hours after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

    The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

22. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.

23. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 30 September 2020. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in

24. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.

25. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण ।

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 22 जुलाई 2019 द्वारा श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन: 08597649) को उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (अन्य यूनिटें) नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्रीमती शिखा गुप्ता को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्रीमती शिखा गुप्ता को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन: 08597649) को छोड़कर कोई भी कंपनी के निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है ।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा श्री दिनेश कुमार बत्रा को (डीआईएन- 08773363) उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (वित्त) नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री दिनेश कुमार बत्रा को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है । तदुपरांत कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्री दिनेश कुमार बत्रा को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्री दिनेश कुमार बत्रा को (डीआईएन- 08773363) को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है ।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide its letter dated 22 July 2019 appointed Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649), as Director (Other Units) on the Board of BEL till the date of her superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mrs Shikha Gupta, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying her intention to propose the appointment of Mrs Shikha Gupta as Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649), is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5:

The Government has vide its letter dated 29 April 2020 appointed Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363), as Director (Finance) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Dinesh Kumar Batra, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying her intention to propose the appointment of Mr Dinesh Kumar Batra as Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363), is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

मद सं. 6 के संबंध में –

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171) को उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (अनुसंधान व विकास) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71 सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री एम वी राजशेखर को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदभार संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत एक सदस्य से श्री एम वी राजशेखर को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे, के प्रस्ताव के संबंध में अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है।

श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171) को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 6 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है ।

मद सं. 7 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) नियम 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मेसर्स मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपीआईएन- एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 07 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है ।

In respect of item No.6:

The Government has vide its letter dated 6 July 2020 appointed Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171), as Director (Research & Development) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr M V Rajasekhar, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying her intention to propose the appointment of Mr M V Rajasekhar as Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171), is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.6 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.7:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be subsequently ratified by the Members.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2020-21 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the Members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 07 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (डीआईएन 07616518).
जन्म तिथि	17 अगस्त 1962.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	16 सितंबर 2016.
शैक्षिक योग्यता	बीई (इलेक्ट्रॉनिक और संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्रीमती आनंदी रामलिंगम ने 16 सितंबर, 2016 को निदेशक (विपणन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। पदोन्नत होने से पहले वे बीईएल बेंगलूरू में महाप्रबंधक (मिलकॉम) के पद पर थीं। श्रीमती आनंदी रामलिंगम ने पीएसजी कालेज ऑफ प्रौद्योगिकी (टैक्नालॉजी), कोयम्बटूर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बी.ई. करने के पश्चात् मार्च 1985 में बीईएल बेंगलूरू में कार्य आरंभ किया। अगले 20 वर्षों में उन्होंने भारतीय सेना के लिए बीईएल और डीआरडीओ द्वारा विकसित फ्लैगशिप आर्टिलरी सैन्य (कॉम्बेट) कमांड और कंट्रोल "शक्ति" तथा रक्षा मंत्री का अवार्ड जीतने वाले एरेन (आर्मी रेडियो इंजीनियर्ड नेटवर्क) समेत मिलिट्री संचार के विभिन्न क्षेत्रों के उपस्कर परीक्षण कार्यों में अनेक प्रकार का अनुभव हासिल किया। इस अवधि में शुरूआत के पहले वर्ष में ही उन्हें कार्यपालक उत्कृष्टता अवार्ड भी प्रदान किया गया था। वर्ष 2004 में उन्हें बेंगलूरु कॉमप्लेक्स स्थित मिलिट्री संचार एवं इलेक्ट्रानिक वारफेयर एसबीयू में विपणन प्रभाग गठित करने हेतु बनाई गई टीम में शामिल किया गया।

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re-Appointment:

Name and DIN	Mrs. Anandi Ramalingam (DIN: 07616518).
Date of Birth	17 August 1962.
Date of Appointment on the Board	16 September 2016.
Qualification	BE (Electronics & Communication)
Expertise in specific function area	Mrs Anandi Ramalingam took charge as Director (Marketing) of the Company on 16 September 2016. She was GM (Mil.Com.) at BEL-Bengaluru before her elevation. Mrs Anandi Ramalingam joined BEL-Bangalore in March 1985 after completing BE in Electronics and Communication Engineering from the PSG College of Technology, Coimbatore. For the next 20 years, she gained diverse experience in equipment testing working across various domains of military communication including heading testing for 'Shakti", the flagship Artillery Combat Command and Control System, developed by BEL and DRDO for the Indian Army and AREN (Army Radio Engineered Network) winning the Raksha Mantri's Award. During this period, she was also awarded the Executive Excellence Award, in the very first year of its inception. In 2004, she was roped in as part of the team formed to set up the Marketing Division for the Military Communication & Electronic Warfare SBU at Bangalore Complex.

	टीम ने बीईएल में पूर्व गतिशील व्यवसाय विकास कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई और धीरे धीरे अन्य एसबीयू में प्रभावी विपणन प्रणाली स्थापित किए जाने में मदद की। वर्ष 2007 में मिलिट्री संचार एसबीयू में विपणन प्रमुख के तौर पर पदोन्नत किया गया जहाँ उनकी टीम ने आर्डर बुक और विक्रयावर्त के क्षेत्र में विकास के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2010 में श्रीमती आनंदी रामलिंगम बीईएल को बहुगुणित विदेशी डीईएमएस हेतु एक भरोसेमंद विश्वस्तरीय सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में स्थापित करने और बीईएल की निर्यात आर्डर बुक स्थिति में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने के साथ रक्षा आफसैट्स की प्रमुख बनकर अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रभाग (आईएमडी) में आईं। दिसंबर, 2014 में वे राष्ट्रीय विपणन प्रभाग में महाप्रबंधक बनीं। थोड़े समय में ही उनके नेतृत्व में बीईएल की आर्डर बुक स्थिति में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई। मई 2016 में उन्होंने बीईएल बेंगलूरू में महाप्रबंधक (मिलकॉम) का पदभार संभाला और निदेशक के रूप में पदोन्नत होने तक व्यवसाय को आगे बढ़ाया।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड। बीईएल- थेलेस सिस्टम लिमिटेड।
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड – लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, सी.एस.आर. समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के सदस्य।

	The team pioneered proactive business development practices in BEL and gradually assisted other SBUs in establishing effective marketing systems. In 2007, she was elevated as the Marketing Head of the Military Communication SBU where her team could achieve record growth in order book and turnover. In 2010, Mrs Anandi Ramalingam moved to the International Marketing Division (IMD) to head Defence Offsets, establishing BEL as a reliable global supply chain partner for multiple foreign OEMs and facilitating substantial growth of BEL's export order book. In December 2014, she moved to the National Marketing Division as GM. Within a short span of time, she saw to it that BEL's order book grew significantly. In May 2016, she assumed charge as GM (Milcom) at BEL-Bangalore and steered the business till her elevation as Director.
Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.
Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	BEL Optronic Devices Limited. BEL-Thales Systems Limited.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	BEL Optronic Devices Limited - Member of Audit Committee, Chairman of CSR Committee, Member of Nomination & Remuneration Committee.

	बीईएल- थेलेस सिस्टम लिमिटेड - लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के सदस्य।
धारित शेयरों की संख्या	1263 ईक्विटी शेयर
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित 8 बैठकों में से 7 बैठकों में भाग लिया ।

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन- 08597649).
जन्म तिथि	08 नवंबर 1961.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	01 दिसंबर 2019.
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्रीमती शिखा गुप्ता ने 1 दिसंबर, 2019 को कंपनी की निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में कार्यभार संभाला। निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने बीईएल-गाज़ियाबाद में बीईएल के रणनीतिक योजना प्रभाग, सैटकॉम और सेल्युलर संचार प्रणाली एसबीयू और बीईएल-बेंगलूरु में निर्यात विनिर्माणी एसबीयू के महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है । श्रीमती शिखा गुप्ता को रक्षा और अर्धसैनिक बलों की कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं के प्रचालन, अनुसंधान व विकास, कारोबारी विकास, बिक्री और जीवन चक्र समर्थन में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व के दुर्गम इलाकों सहित देश के कोने-कोने में थलसेना, वायु सेना और नौसेना की भूमि-आधारित, जहाज-वाहित, पनडुब्बी-वाहित और वायु-वाहित मेगा परियोजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव में शामिल रही हैं। उन्होंने कई स्वदेशी और सहयोगात्मक विकास परियोजनाओं को भी संचालित किया है। उन्हें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विकास का समृद्ध अनुभव है।

	BEL-Thales Systems Limited - Member of Audit Committee, Member of Nomination & Remuneration Committee.
No. of Shares held	1263 Equity Shares.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2019-20	Attended 7 meetings out of 8 meetings held during the financial year 2019-20.

Appointment:

Name and DIN	Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649).
Date of Birth	08 November 1961.
Date of Appointment on the Board	01 December 2019.
Qualification	B.Tech (Electronics & Communication)
Expertise in specific function area	Mrs Shikha Gupta took charge as Director (Other Units) of the Company on 01 December 2019. She had served as the General Manager of BEL's Strategic Planning Division, Satcom and Cellular Communication Systems SBU at BEL-Ghaziabad and Export Manufacturing SBU at BEL-Bangalore, before her elevation as Director. Mrs Shikha Gupta has over 34 years of experience in Operations, R&D, Business Development, Sales and Life Cycle Support of many prestigious projects for the Defence and Paramilitary Forces. She was involved in the execution and maintenance of land-based, ship-borne, submarine-borne and airborne mega projects of the Army, Air Force and Navy across the length and breadth of the country, including tough terrains of Jammu & Kashmir and North East. She also piloted many indigenous and collaborative development projects. She has rich experience in hardware, software and system development.

श्रीमती शिखा गुप्ता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक करने के बाद, 1 फरवरी 1985 को बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में परिवीक्षाधीन अभियंता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । उन्होंने डिजिटल रेडियो मॉड्यूल, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली और एस-बैंड ब्रीफ़केस टर्मिनल के मुख्य डिज़ाइन कार्य के साथ मल्टीपल सैटकॉम नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क और सीडीएमए सेल्युलर नेटवर्क के सिस्टम डिज़ाइन पर भी कार्य किया है । उनके नेतृत्व में निष्पादित दो परियोजनाओं को रक्षा मंत्री का 'स्वदेशी विकास' पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

श्रीमती शिखा गुप्ता ने गाज़ियाबाद के नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम के प्रणालियों और डी एंड ई के विपणन और वाणिज्यिक प्रभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने कॉम्बैट प्रबंधन प्रणाली, कॉम्बैट सूचना प्रणाली और वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली जैसी कई प्रमुख C4I परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है ।

श्रीमती शिखा गुप्ता ने 2015 में बीईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में रणनीति योजना प्रभाग के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। कॉर्पोरेट रणनीति योजना के प्रमुख के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी की वृद्धि के लिए दीर्घकालिक योजना की सुविधा हेतु 'बीईएल दृष्टि 2030' को आकार दिया। उन्होंने बीईएल की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक रणनीतिक सहयोग की पहल की। कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने बीईएल की जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्टार्ट-अप और एमएसई द्वारा नवोन्मेष करने के लिए एचएएल के साथ साझेदारी में रक्षा नवोन्मेष संगठन के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Mrs Shikha Gupta joined BEL's Ghaziabad Unit as Probationary Engineer on 01 February 1985, after graduating from the University of Allahabad in Electronics & Communication. She worked on the core design of Digital Radio modules, Network Management System and S-Band Briefcase Terminal as well as system design of Multiple Satcom networks, Radio networks and CDMA cellular networks. Two projects which she led won the Raksha Mantri's Award for 'Indigenous Development'.

Mr Shikha Gupta headed the Marketing and Commercial division of Systems and D&E of Network Centric Systems at Ghaziabad. She facilitated many key C4I projects such as Combat Management System, Combat Information System and Air Defence Control & Reporting System.

Mrs Shikha Gupta took charge as General Manager of the Strategic Planning Division at BEL's Corporate Office in 2015. During her two-year tenure as Head of Corporate Strategic Planning, she gave shape to 'BEL Vision 2030' to facilitate long-term planning for the Company's growth. She initiated much strategic collaboration to address\the business requirements of BEL. As Chairperson of the Corporate Risk Management Committee, she was instrumental in formulating the Risk Management Policy of BEL. She also steered the formation of the Defence Innovation Organisation in partnership with HAL to address Innovation by start-ups and MSEs, under the guidance of MoD.

कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 3 बैठकों में से 3 बैठकों में भाग लिया ।

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री दिनेश कुमार बत्रा (डीआईएन- 08773363).
जन्म तिथि	11 अक्तूबर 1962.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	01 अगस्त 2020.
शैक्षिक योग्यता	बीई (मैकानिकल), विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री दिनेश कुमार बत्रा ने 01 अगस्त 2020 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला।

Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.
Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	Nil.
No. of Shares held	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2019-20	Attended 3 meetings out of 3 meetings held during her tenure as Director in the financial year 2019-20.

Appointment:

Name and DIN	Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363).
Date of Birth	11 October 1962.
Date of Appointment on the Board	01 August 2020.
Qualification	BE (Mechanical), Post Graduate Diploma in Foreign Trade & Post Graduate Diploma in Management.
Expertise in specific function area	Mr Dinesh Kumar Batra assumed charge as Director (Finance) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on 01 August 2020.

	श्री दिनेश कुमार बत्रा हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू), कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), दिल्ली और प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव के विद्यार्थी हैं। श्री दिनेश कुमार बत्रा ने 1984 में बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में कार्यग्रहण किया और अपने साढ़े तीन दशक लंबे करियर में कंपनी की गाज़ियाबाद, दिल्ली, पुणे और बेंगलूरु यूनिटों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। निदेशक (वित्त) के पद पर चयन होने से पहले उन्होंने बीईएल के कार्पोरेट कार्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली का नेतृत्व किया और पुणे यूनिट के महाप्रबंधक रहे। लागत और वित्तीय प्रबंधन में अपने अनुभव से उन्होंने पुणे यूनिट के ऊपरी और निचले स्तर के कारोबार में स्थिर और कई गुना की बढ़ोत्तरी की। श्री दिनेश कुमार बत्रा ने इलेक्ट्रो-एक्सप्लोज़िव खंड में प्रवेश करने के कंपनी के प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाई । इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी फ्यूज़ तथा अन्य गोला-बारूद में भारत को "आत्म-निर्भर" बनाने के लिए, उन्होंने एक्सप्लोज़िव इंटीग्रेशन कॉम्पलेक्स स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से नागपूर में 200 एकड़ भूमि आबंटित कराया। भारत सरकार के ई-मोबिलिटी प्रोग्राम में सहयोग करने में ऑटोमोबिल के लिए लियॉन बैटरी पैक के कारोबार में बीईएल का प्रवेश कराने का श्रेय भी उन्हें जाता है। एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली, फ्यूल सेल, फायबर ऑप्टिक गायरो, केमिकल एजेंट मॉनीटर आदि के स्वदेशी विकास और निर्माण में बीईएल-पुणे के विविधीकरण में आपने प्रमुख भूमिका निभाई।

	Mr Dinesh Kumar Batra is an alumnus of Harcourt Butler Technical University (HBTU), Kanpur, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Delhi, and Management Development Institute, Gurgaon. Mr Dinesh Batra joined BEL at its Ghaziabad Unit in 1984 and in a career spanning over three and half decades, served the Company in various capacities in Ghaziabad, Delhi, Pune and Bengaluru. Prior to his elevation as Director (Finance), he headed Internal Audit at BEL's Corporate Office, Regional Office-Delhi and Pune Unit as General Manager. With his expertise in cost and financial management, he turned around the Pune Unit with consistent, multi-fold growth in top and bottom line. Mr Dinesh Kumar Batra was instrumental in the company's move to foray into the Electro-Explosive segment. To make India "Aatmanirbhar" in Electronic Artillery Fuzes and other ammunitions, he got 200 acres land allotted by Maharashtra Government at Nagpur to set up an Explosive Integration Complex. He is also credited with BEL entering into Li-on battery packs for automobiles to support the e-Mobility programme of the Government of India. He was instrumental in BEL-Pune diversifying into the indigenous development and manufacturing of X-ray Baggage Inspection System, Fuel Cell, Fiber Optic Gyro, Chemical Agent Monitor, etc.

	श्री दिनेश कुमार बत्रा में भावी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने और इस प्रकार कंपनी के लिए संपदा सृजित करने की क्षमता है। उन्हें वित्त के सभी क्षेत्रों का समृद्ध अनुभव है, उनमें सुदृढ़ विश्लेषणात्मक कौशल है, रणनीतिक सोच और अनुकरणीय नेतृत्व कौशल है।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड - लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, सी.एस.आर. समिति के सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के सदस्य।
धारित शेयरों की संख्या	1,263.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	लागू नहीं

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171)
जन्म तिथि	19 अगस्त 1962
मंडल में नियुक्ति की तारीख	01 सितंबर 2020
शैक्षिक योग्यता	प्रौद्योगिकी स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)

	Mr Dinesh Batra has the ability to anticipate and address key financial issues, thereby creating wealth for the Company. He has rich experience in all areas of Finance, strong analytical skills, strategic thinking and exemplary leadership skills.
Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.
Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	BEL Optronic Devices Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	BEL Optronic Devices Limited - Chairman of Audit Committee, Member of CSR Committee, Member of Nomination & Remuneration Committee.
No. of Shares held	1,263.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2019-20	Not Applicable.

Appointment:

Name and DIN	Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171).
Date of Birth	19 August 1962.
Date of Appointment on the Board	01 September 2020.
Qualification	Bachelor Technology (Electronics & Communication).

विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री एम वी राजशेखर ने 1 सितंबर, 2020 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) के निदेशक (अनुसंधान व विकास) का कार्यग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सीआरएल) - बेंगलूरु में मुख्य वैज्ञानिक और बीईएल के कार्पोरेट कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओ.एस.डी.) थे। श्री एम वी राजशेखर ने श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में बी.टेक करने के बाद 1 फरवरी, 1985 को परिवीक्षाधीन अभियंता के रूप में बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में कार्य ग्रहण किया था। अपने 35 वर्षों के लंबे करियर में, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और बीईएल की विविध प्रौद्योगिकियों में समृद्ध अनुभव अर्जित किया। बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में अपने कार्यकाल के दौरान वे स्थैतिक एवं डिज़िटल मोबाइल ट्रोपो-स्कैटर संचार एवं सैटकॉम, रेडार प्रदर्श एवं कमान व कंट्रोल सिस्टम जैसे संचार उत्पादों के परीक्षण में शामिल रहे। वर्ष 2000 में उन्हें हैदराबाद यूनिट भेजा गया जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति की विभिन्न प्रणालियों के परीक्षण व कार्यारंभ पर कार्य किया। वर्ष 2004 में उन्हें मछिलिपट्टणम यूनिट भेजा गया। मछिलिपट्टणम यूनिट में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री एम वी राजशेखर ने रात्रि दर्शी साधित्र की डिज़ाइन और विकास के लिए योगदान दिया जिसकी गृह मंत्रालय और भारतीय थलसेना को बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई। उन्होंने आई.आर. ऑप्टिक्स में बीईएल के लिए अच्छी डिज़ाइन का आधार तैयार किया और सीआरएल- बेंगलूरु में संकेत प्रसंस्करण विकास की पहल की।

Expertise in specific function area	Mr M V Rajasekhar took charge as Director (R&D) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Ltd. (BEL) on 1 September 2020. He was working as Chief Scientist of BEL's Central Research Laboratory (CRL)-Bangalore, and Officer on Special Duty (OSD) at BEL's Corporate Office, before his elevation. Mr M V Rajasekhar joined BEL's Ghaziabad Unit on 1 February, 1985, as Probationary Engineer after completing B.Tech in Electronics & Communication Engineering from Sri Venkateswara University, Tirupati. In a career spanning over the last 35 years, he has worked in various capacities and gained rich experience in diverse technologies of BEL. He was involved in the testing of Communication products such as Static and Digital Mobile Tropo-scatter Communication & Satcom Networks, Radar Displays and Command & Control Systems during his tenure at BEL's Ghaziabad Unit. In the year 2000, he moved to Hyderabad Unit and worked on the testing and commissioning of various Electronic Warfare systems. In 2004, he was transferred to Machilipatnam Unit. During his tenure at Machilipatnam Unit, Mr M V Rajasekhar contributed to the design and development of Night Vision Devices which have been supplied in large quantities to the Ministry of Home Affairs and the Indian Army. He has established a good design base for BEL in IR Optics and initiated signal processing development at CRL-Bangalore.

	आईआरडीई (डीआरडीओ) के सहयोग से अत्याधुनिक व नवीनतम थर्मल इमेजर आधारित साइटों व प्रणालियों के स्वदेशी विकास में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई जिसके कारण कंपनी के कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मई 2016 में, उन्हें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (इलेक्ट्रो ऑप्टिक एवं लेज़र) के पद पर पदोन्नत किया गया। सीटीओ (ईओ एंड एल) के रूप में, उन्होंने बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स एवं लेज़र में अनेक नई परियोजनाओं की पहल की और यूनिट की डी एंड ई और सीआरएल-बेंगलूरु के प्रयासों को गति प्रदान की। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु और सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) के साथ रणनीतिक सहयोग करते हुए फायबर लेज़र प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वे सीआरएल- बेंगलूरु और पीडीआईसी के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बने। निदेशक (अनुसंधान व विकास) के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले, जून, 2019 में, उन्हें मुख्य वैज्ञानिक के रूप में सीआरएल-बेंगलूरु भेजा गया जहाँ उन्होंने कृत्रिम आसूचना, रोबोटिक्स एवं ड्रोन, सायबर सुरक्षा, क्लाउड एवं डेटा एनालिटिक्स, सामरिक संचार, रेडार सिग्नल एवं डेटा प्रसंस्करण, ईओ एंड एल, स्मार्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइस और सिस्टम तथा ईडबल्यू एंड अकास्टिक्स के लिए उन्नत सिग्नल प्रोसेसर जैसी विविध प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले लगभग 260 वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व किया।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटण	कोई नहीं

	He was instrumental in the indigenous development of state-of-the-art Thermal Imager-based Sights and Systems in association with IRDE (DRDO) which resulted in significant business growth for the Company. In May 2016, he was promoted as Chief Technology Officer (Electro Optics & Lasers). As CTO (EO&L), he initiated many new projects in Electro-Optics and Lasers at BEL's Product Development & Innovation Centre (PD&IC), complementing the efforts of Unit D&Es and CRL-Bangalore. He was a guiding force for the scientists of CRL-Bangalore and PD&IC for the development of Fiber Laser Technology in strategic alliance with the Indian Institute of Science, Bangalore, and Central Glass and Ceramic Research Institute (CGCRI). In June 2019, he moved to CRL-BG as Chief Scientist and led a team of around 260 scientists working on diverse technologies such as Artificial Intelligence, Robotics & Drones, Cyber Security, Cloud & Data Analytics, Tactical Communications, Radar Signal & Data Processing, EO&L, Smart Computing Devices, Embedded Systems, Networking Devices and Systems and Advanced Signal Processing for EW & Acoustics, before his elevation as Director (R&D).
Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.

यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
यथा 01.09.2020 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
धारित शेयरों की संख्या	1,263.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	लागू नहीं

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
7 सितंबर 2020

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.09.2020	Nil.
No. of Shares held	1,263.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2019-20	Not Applicable.

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
7 September 2020

S Sreenivas
Company Secretary